

झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 1361 / राँची, दिनांक 18/05/2018
3/उ०नि०/रा०स्त०पुर०(यो०स्वी०)-67/2016

प्रेषक,

कै० रवि कुमार भा०प्र०से०
निदेशक उद्योग।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड।
उप निदेशक,
झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
राँची प्रक्षेत्र/बोकारो प्रक्षेत्र/आदित्यपुर प्रक्षेत्र/देवघर प्रक्षेत्र

विषय: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष पुरस्कार हेतु आवेदन प्रपत्र, मार्गदर्शिका एवं विज्ञापन की प्रति का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक प्रमण्डल स्तर पर लाभुकों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाने हेतु उद्यमियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक संख्या में पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र उद्योग निदेशालय, राँची को भेजवाया जाए। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 16.08.2018 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस आशय का विज्ञापन राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जा रहा है। आवेदन प्रपत्र, मार्गदर्शिका एवं विज्ञापन की प्रति विभागीय वेबसाइट www.jharkhadindustry.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

अतः इस पत्र के साथ मार्गदर्शिका, आवेदन प्रपत्र एवं विज्ञापन की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसका सम्पूर्ण रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए उद्यमियों से पुरस्कार हेतु भरे हुए आवेदन उद्योग निदेशालय, राँची को निर्धारित तिथि से पूर्व उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक: यथावर्णित।

विश्वासभाजन

15/5/18
निदेशक उद्योग

झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

राज्य स्तरीय पुरस्कार-2018 की मार्गदर्शिका

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने एवं उनके उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न विवरणी के अनुसार राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार, झारखण्ड द्वारा लिया गया है।

(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पुरस्कार की विवरणी:-

क्र०	पुरस्कार हेतु योग्य उद्यम	पुरस्कार की श्रेणी	प्रथम पुरस्कार की राशि	द्वितीय पुरस्कार की राशि	तृतीय पुरस्कार की राशि
1	2	3	4	5	6
1	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	न्यूनतम दुर्घटना सुरक्षा पुरस्कार (Least accident safety Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
2	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	उर्जा संरक्षण पुरस्कार (Energy Conservation Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
3	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	श्रमिक कल्याण पुरस्कार (Labour welfare Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
4	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	नवनिर्मित/नव परिकल्पित उत्पाद पुरस्कार (New/Innovative Product Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
5	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	सर्वाधिक लाभ/टर्नओवर पुरस्कार (Max.profit/turn over Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
6	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	आणविक संचारण पुरस्कार (Electronics Communication Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
7	मध्यम उद्यमों के लिए	वतावरण प्रबंधन/प्रदूषण प्रबंधन पुरस्कार (Environment Management Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00
8	मध्यम उद्यमों के लिए	पुनर्वासित रुग्ण उद्योग पुरस्कार (Sick Industries turn-around Award)	50,000.00	40,000.00	25,000.00

नोट: उपर्युक्त पुरस्कार की श्रेणी में क्रमांक 1-6 तक के पुरस्कार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए है एवं क्रमांक 7-8 में वर्णित पुरस्कार मध्यम उद्यमों के लिए है। पुरस्कार हेतु चयनित उद्यमियों को उपर वर्णित पुरस्कार की राशि के अतिरिक्त प्रमाण पत्र, शॉल एवं ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी।

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों में से सफलता पूर्वक इकाई संचालन एवं बैंक ऋण का 100% वापसी की स्थिति में प्रत्येक प्रमंडल से एक-एक चयनित लाभुक को विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

राज्यस्तरीय पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया

1. राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण सामाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा एवं विज्ञापित अंतिम तिथि तक आवेदन निदेशक उद्योग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा।
2. राज्य स्तरीय पुरस्कार के विहित आवेदन प्रपत्र कुल 10 पृष्ठों में है। प्रथम 02 पृष्ठ सामान्य आवेदन, सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित है। इसके बाद के कुल 08 पृष्ठों में आठ श्रेणियों के लिए अलग-अलग आवेदन उपलब्ध है। किसी एक श्रेणी के लिए आवेदन हेतु प्रथम 02 पृष्ठों के साथ संबंधित श्रेणी का आवेदन पत्र भरना आवश्यक होगा।
3. अंतिम निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को संकलित कर निदेशालय स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समीक्षा संबंधित उप उद्योग निदेशक, संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के विकास पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी।
4. जाँच के कम में सही एवं पूर्ण पाये गये आवेदन पत्रों से संबंधित इकाईयों का स्थल जाँच प्रतिवेदन संयुक्त जाँच दल, जिसमें संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जि०उ०के०/विकास पदाधिकारी संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक होंगे, से प्राप्त की जाएगी। जाँच दल आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य, इकाई की वर्तमान स्थिति, ऋण भुगतान की स्थिति आदि की जाँच कर पुरस्कार हेतु मंतव्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
5. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लाभुकों के लिए विशेष पुरस्कार हेतु विहित प्रपत्र में दिए गए तथ्यों के आलोक में चयन की कार्रवाई की जाएगी एवं पूर्व की भाँति प्रत्येक प्रमंडल से एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जिसकी राशि 25000.00 (पच्चीस हजार रू०) मात्र होगी। यदि प्रत्येक प्रमंडल में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाने का उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाता है तो प्रथम पुरस्कार-25000.00, द्वितीय पुरस्कार-15000.00 एवं तृतीय पुरस्कार-10000.00 रुपये की राशि चयनित इकाईयों को दी जाएगी।
6. PMEGP के लाभुकों का चयन निम्नलिखित चेकलिस्ट में निर्धारित तथ्यों के आलोक में कमिटी द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा।

क	इकाई का नाम/पता	स्थापना वर्ष (3 वर्ष के पूर्व-2 एवं 3 वर्ष के बाद-1)	ट्रेड Mfg.-2 Serv.-1	EM-2 आधार-2	निवेश 5.00 लाख तक-3 5.00 लाख से अधिक-4	नियोजन प्रति 1.00 लाख निवेश पर-1 एवं अधिक-2	पुरुष-1 महिला-2	मानकीकरण -2	बैंक रिपेमेंट -2	शहरी -1 ग्रामीण -2
---	-----------------	--	----------------------	-------------	--	---	-----------------	-------------	------------------	--------------------

7. संबंधित उप उद्योग निदेशक स्तर से समीक्षोपरांत प्राप्त सभी आवेदन पत्र Short listing करते हुए अंक तालिका एवं समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ निर्णय हेतु निदेशक उद्योग की अध्यक्षता में गठित एक समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा एवं तदोपरांत सचिव उद्योग की अध्यक्षता में गठित विभागीय चयन समिति के समक्ष अंतिम निर्णय हेतु उपस्थापित किया जाएगा।

पात्रता:--(I) उद्यु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा परिभाषित सभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों जो झारखण्ड राज्य के अंतर्गत स्थापित एवं कार्यरत है, वे पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र समर्पित कर सकते है।

(II) राज्य स्तरीय पुरस्कार-2017 एवं PMEGP के विशेष पुरस्कार से संबंधित विहित आवेदन पत्र उप उद्योग निदेशक का कार्यालय/जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय/औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (रियाडा,राँची, बियाडा

बोकारो, आयडा, जमशेदपुर एवं स्पियाडा, देवघर) से प्राप्त किये जा सकते हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु मार्गदर्शिका एवं विहित आवेदन प्रपत्र उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची के वेबसाइट www.jharkhandindustry.gov.in से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

(II) निर्धारित तिथि 16.08.2018 के बाद एवं अधूरे भरे गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(IV) उद्यमियों को आवेदन पत्र के साथ दो पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटोग्राफ जमा करना होगा।

(V) पुरस्कार की श्रेणी का उल्लेख आवेदन पत्र में यथा स्थान करना आवश्यक होगा।

(VI) राज्य स्तरीय पुरस्कार-2018 हेतु उद्यमियों के चयन में सचिव उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग/अपर मुख्य सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में गठित विभागीय चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

ह0/-

उद्योग निदेशक
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक

1380

राँची, दिनांक 21/05/2018

प्रतिलिपि:

महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड/विकास पदाधिकारी, सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, झारखण्ड/अध्यक्ष, झारखण्ड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोशिएशन, कोकर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर उद्योग निदेशक
झारखण्ड, राँची।